



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1942 (श०)
(सं० पटना 269) पटना, बुधवार, 6 मई 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

6 मई 2020

एस० ओ० 112, दिनांक 6 मई 2020— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, अधिसूचित करते हैं कि उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, और निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्ग, से भिन्न व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे अर्थात्:-

- (क) व्यक्ति;
- (ख) सभी प्रकार के प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;
- (ग) प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और
- (घ) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8) 786)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

6 मई 2020

एस० ओ० 112, दिनांक 6 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8) 786)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 6th May 2020

S.O. 112, Dated 6th May 2020.— In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of the said Act shall not apply to a person who is not a citizen of India or to a class of persons other than the following class of persons, namely:—

- (a) Individual;
- (b) authorised signatory of all types;
- (c) Managing and Authorised partner; and
- (d) Karta of an Hindu undivided family.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8) 786)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 269-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>